

कार्यालय नगर निगम सासाराम

पत्रांक - ५२३५ /	जी०टी० रोड, सासाराम।
दिनांक - ०९ / ०९ / २०२६	ई-मेल : sasaramnagarnigam@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना(ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in.)

निविदा सूचना सं०-१९ / २०२६-२७

- विज्ञापनदाता का नाम एवं पता - नगर आयुक्त,
नगर निगम सासाराम।
- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि - १०.०९.२०२६
- प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय स्थान - २१.०९.२०२६ को १२.०० बजे पूर्वाह्न,
नगर निगम सासाराम।
- परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय - ०३.१०.२०२६ को १०.०० पूर्वाह्नसे ०८.१०.२०२६ के १५.०० बजे पूर्वाह्न/अपराह्न तक।
(on website eproc2.bihar.gov.in)
- संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि - ०८.१०.२०२६ को ५.०० बजे अपराह्न तक।
(on website eproc2.bihar.gov.in)
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि - १०.१०.२०२६ को १२.०० बजे पूर्वाह्न,
(on website eproc2.bihar.gov.in)
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि - तकनीकी बीड निष्पादन के उपरान्त।
(on website eproc2.bihar.gov.in)
- कार्य का विवरण - (मद-१५th Finance / नगर निधि कोष)

क्र० सं०	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि (रु० में)	Cost of Bidding Document (Tender fee Non-refundable (Rs.))	Bid Processing Fee Through online payment)	कार्य अवधि
१	नगर निगम सासाराम क्षेत्रान्तर्गत बौलिया रोड के पश्चिम किनारे रामा चाय दुकान (बौलिया मोड़) से जोड़ा मजार एवं बागभाई खों होते हुए चीना चाय दुकान के आगे कब्रिस्तान तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	१५४७५२५५.००	३०९५०६.००	१००००.००	As per eproc2	चार माह
२	नगर निगम सासाराम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०-१८ में बौलिया रोड के पूरब किनारे राधेश्याम के घर (सिम्बा इलेक्ट्रॉनिक) से बुद्ध मिशन मोड़ होते हुए रामजी महतो के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	११२६०४४१.००	२२५२०९.००	१००००.००	As per eproc2	चार माह
३	वार्ड नं०- १८ बौलिया मोड़ से साहु सिनेमा होते हुए कुशवाहा भवन तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	९३३१६४१.००	१८६६३३.००	१००००.००	As per eproc2	चार माह

नोट:- Bidders Should submit Bid Processing fee thorough Online Payment as per Amount generated on Websitewww.eproc2.bihar.gov.in

(Handwritten signatures and marks)

10. निविदा की वैधता अवधि :120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
11. निविदा कागजात अपलोड करने के पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
- "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.
 - "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holiday or any other reasons
12. संवेदक का राज्य सरकार के किसी कार्य विभाग में ठिकेदार निबंधन नियमावली के अधीन समुचित श्रेणी में निबंधन होना चाहिए।
13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।
14. ई-टेन्डरिंग के प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे उन्हें (उपयोगकर्ता का नाम) User ID, (पासवर्ड) Password एवं (अंकीय हस्ताक्षर) Digital Signature निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई-टेन्डर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
15. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
16. परिमाण विपत्र:-
- उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking) के माध्यम से भुगतान हो, जमा किया जाना चाहिए।
 - अग्रधन की राशि -
 - अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।
 - अग्रधन की राशि E-Payment mode (i.e. Credit/Debit card and Net Banking) के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
 - संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
17. (A) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित जाना जायेगा।
- वैद्य निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - साझेदार फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
 - पैन कार्ड की प्रति एवं विगत 3 वर्ष का I.T.R एवं Turnover
 - जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन जमा प्रमाण पत्र की प्रति।
 - कार्य के अनुरूप अग्रधन राशि की प्रति Tools एवं Plants तथा Personnel की शपथ-पत्र। (निविदा प्रकाशन के पहले कार्यालय इसकी सूची तैयार करेंगे।)
 - चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/ गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)
- (B) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।
- (C) घोषणा प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)
- "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम)..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक घोषण करता/ करती हूँ कि :-
- मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 - मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

- (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल/नगर निकाय के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/कर्मि के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है। उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबन्धन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठेकेदारी निबन्धन नियमावली-2007 के तहत निविदाकर्ता द्वारा Debar करते हुए, काली सूची में डालने एवं निलंबन इत्यादि हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने का अधिकार होगा, यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।
- (D) संवेदक के पास संबंधित कार्य के अनुरूप यंत्र संयंत्र का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
- (E) बिटुमिन पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटे के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। IBM, SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static, Paver Finisher, Bitumin Sprayer, air Compressor, Tipper and lab equipments आवश्यक है। जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाणिक एवं आवश्यक शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, फलस्वरूप संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठेकेदारी निबन्धन नियमावली-2007 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।
- (F) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातों पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।
- (G) प्रतिशत दर निविदा
- (क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।
- (ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्यप्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जायगी।
- (ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

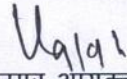


- (घ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
- (ङ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जायगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।
18. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. निविदा निष्पादन:
- (1) यदि निविदा की उपरोक्त कंडिका अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
 - (2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
 - (3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर एक समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ यदि आवश्यकता दर प्राक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
 - (4) i) प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा करनी होगी।
ii) पुनः निविदा में Single tender एवं BOQ से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
20. एकरारनामा :
- (क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2(कंडिका-23 बिलोपित) F2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा विधिसमत् कार्रवाई की जायेगी।
 - (ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
 - (ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जानेवाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।
 - (घ) एकरारनामा करने से पूर्व संवेदक को अपना आचरण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार (SP/DM) द्वारा निर्गत समर्पित करना होगा।
- 21 अन्य शर्तें :
- (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधिविस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
 - (ख) प्राकलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है। उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 25.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
22. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 24 माह (दो वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।
23. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
24. 25 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बिड तथा एक तकनीकी बिड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा। तकनीकी बिड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बिड नहीं खोला जाएगा।

5

25. 25 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के 50% की राशि का भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के एक 25% मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, GST, Royalty, Net Payment, Gross Payment दर्शाया गया है। निविदा का मुल्यांकन संवेदक सभी अनुमान्य कटौतियों के पश्चात शुद्ध भुगतान (Net Pay) के आधार पर किया जायेगा।
26. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा।
27. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम-से-कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्सम्बंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री-डिप्लोमा अभियन्ता एक ही निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियन्ता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र दें तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
28. तकनीकी बीड में निविदा का उतना कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यथा - यथा - नगर आयुक्त/कार्यपालक अभियन्ता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/नगर विकास प्रमंडल/नगर परिषद्/नगरपंचायत से संपर्क कर सकते हैं।
29. In the unlikely event of the server of www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving times stipulated in the original NIT.
30. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission and they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/visibility of the scanned & uploaded file by them.
31. The bidders must use eproc-2 Compatible MS Office version of required size and should be in M.S. Word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
32. No claim shall be entertained on account of description of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
33. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
34. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
35. The Bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria/technical bids and other certificates/documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authenticity.
36. As per RCD letter no-7482 (S) Dated-28.12.2023 if any bidder withdraws its bid during bid validity period, The EMD will be forfeited and accordingly action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.
37. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s) Dated-24.07.2012
38. Corrigendum/ addendum, if any, will be published on the eproc 2.0 only. Newspaper Publication is not mandatory.
39. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only


 नगर प्रबंधक,
 नगर निगम, सासाराम।


 नगर आयुक्त,
 नगर निगम, सासाराम।







प्रतिलिपि -

ज्ञापांक - ५२३५ दिनांक - ०९/९/२६

01. नगर निगम सासाराम के सूचना पट पर प्रकाशित हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रधान लिपिक/लेखापाल/योजना प्रभारी/नोडल ऑफिसर IPRD को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ससमय IPRD, Bihar के वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशन हेतु ऑनलाईन के माध्यम से सूचना को अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
03. सहायक अभियंता/कनीय अभियंता नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।
04. नगर प्रबंधक, नगर निगम सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
05. उप नगर आयुक्त, नगर निगम सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
06. कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।
07. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को निविदा सूचनाराजकीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
08. माननीया महापौर/उप महापौर, नगर निगम सासाराम को सूचनार्थ समर्पित।
09. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, सासाराम।

9/09/26
9/9/26

09/09/26
J.E

09/09/26
74

9.9.26
AB

09/09/26
AF